गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV-07/2022

पत्र सं0: **20211201205/PC/V5/N/ALD** **Dated:** 22.12.2022

प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर,
उ0म0रे0, प्रयागराज।

विषयः S&T विभाग की विभिन्न निविदाओं के अन्तर्गत सामानों की खरीद साइट की वास्तविक जरूरतों के अनुसार करने, सामानों की सप्लाई साइट पर कार्य प्रगति के अनुसार लिये जाने एवं उन सामानों के सप्लाई पार्ट का पेमेंट उनके Installation से लिंक करने के मद में निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

S&T विभाग, प्रयागराज मंडल के एक सिग्नल डिपो के भण्डार में दिनांक 17.12.2021 को किये गये सतर्कता जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आयीं:–

(i) उक्त स्टोर में एक आइटम– कम्प्यूटरों के लिए 1KVA की क्षमता वाले UPS की 31 Nos. मात्रा बची पायी गयी जिसे एक कार्य निविदा LOA सं0 ALD/713-SIG/OT/07/2015-16/48 दिनांक 11.05.2016 के माध्यम से दिनांक 03.07.2017 को ठेकेदार द्वारा सप्लाई किया गया था। उक्त कार्य निविदा में ठेकेदार द्वारा कुल 37 Nos. 1KVA UPS सप्लाई किये गये थे जिसमें केवल 06 Nos. आइटम सतर्कता जाँच दिनांक 17.12.2021 तक साइट पर कार्य के लिए इश्यू किये गये। 1KVA क्षमता तक के UPS की Codal Life 04 वर्षों की होती है जो कि दिनांक 02.07.2021 के पूर्व ही समाप्त हो गयी थी, इसके बावजूद भी उक्त आइटम को कार्य के लिए इश्यू न करते हुए उसे बिना उपयोग किये ही स्टोर में रखे–रखे उसकी Codal Life को समाप्त करवा दिया जाना निश्चित रूप से एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका कारण निविदा में उक्त आइटम खरीदने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही पता होगा। उक्त निविदा अन्तर्गत खरीदे गये 31 Nos. 1KVA UPS की Codal Life खत्म हो जाने के कारण रेलवे के निर्देशों के अनुसार उस आइटम को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, जिससे उक्त आइटम को कुछ समय बाद सम्बन्धित विभाग द्वारा condemn कर दिये जाने की मजबूरी बन जाएगी। आगे वर्तमान केस में 1KVA UPS आइटम को कार्य निविदा के माध्यम से स्टोर निविदा की कीमतों के सापेक्ष करीब 251% अत्यधिक कीमत पर खरीदा गया था, जबकि कार्य निविदाओं के माध्यम से विभिन्न आइटमों को खरीदे जाने के पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस आइटम की कीमत स्टोर निविदा के माध्यम से उन आइटमों के खरीद की कीमत के लगभग समान हो, जिससे रेलवे को उचित कीमत पर सामान मिल सके और इसमें रेलवे को कोई नुकसान न हो।

(ii) प्रायः ऐसा पाया जाता है कि S&T विभाग के विभिन्न यूनिटों द्वारा जरूरत से ज्यादा मात्रा मे निविदाओ के अन्तर्गत सामानों को खरीद लिया जाता है और निविदा कार्यों की समाप्ति के बाद भी अत्यधिक मात्रा में सामान बच जाने पर उसकी खपत दर्शाने के लिए आस–पास के अन्य डिपो (जिसके कार्यक्षेत्र में उक्त निविदाओं के अन्तर्गत कार्य संपादित नहीं कराया जाना है) को इश्यू कर दिया जाता है, जिसका एक जीता–जागता उदाहरण वर्तमान केस ही है, जहाँ उक्त 1KVA UPS आइटम को खपाने के उद्देश्य से 27 Nos. आइटम S&T विभाग/प्रयागराज मंडल के तीन अन्य डिपो को अगस्त–2022/नवम्बर–2022 में issue कर दिया गया है। अतः कार्य निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त किये गये विभिन्न आइटमो के मद मे अत्यधिक कीमत वाले आइटमों (High Value Items) के सप्लाई पार्ट का भी पेमेंट उसके Installation से लिक किया जाना चाहिए।

(iii) यह उल्लेखनीय है कि कार्य निविदाओं में बिना साइट की जरूरत के ही कई आइटमो को निविदा शेड्यूल में शामिल करते हुए एक Unrealistic Estimate टेण्डर की वैल्यू बढाने के उद्देश्य से बनाते हुए

22.12.2022

निविदा आमंत्रित कर उसे अवार्ड भी कर दी जाती है एवं निविदा का LOA जारी होते ही ठेकेदार से करीब सभी सामानों की सप्लाई लेकर निविदा शर्तों के अनुसार सप्लाई पार्ट का पेमेंट भी सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार के पक्ष में कर दिया जाता है और सम्बन्धित विभागों द्वारा यह परवाह भी नहीं की जाती है कि उन आइटमों के install करने की जरूरत उसके सप्लाई के कितने दिनों बाद पड़ेगी या उस निविदा के अन्तर्गत विभिन्न कारणों के चलते ठेकेदार द्वारा कार्य वास्तव में कब प्रारम्भ किया जाएगा, जिससे ज्यादातर केसों में उन आइटमों की एक तरफ Codal Life काफी निकल गयी होती है, तो दूसरी तरफ उन आइटमों की खरीद के पेमेंट के मद में रेलवे का काफी पैसा अत्यधिक समय तक Block भी हो जाता है, जिससे रेलवे को दोतरफा नुकसान झेलना पड़ता है। अतः कार्य कराये जाने के लिए प्लानिंग अत्यधिक realistically एवं cost consciousness को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए एवं असाधारण (extravagant) एवं lavish manner में सुविधाएं दिये जाने के उद्देश्य से कोई कार्य न कराकर कार्य के functional आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही न्यूनतम कीमत का estimate बनाया जाना चाहिए, जो कार्य के वांछित objective/parameters को पूरा करे, न कि टेण्टर का मूल्य बढ़ाये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें पत्र सं0 2017/F(X)II/3/1 दिनांक 20.10.2017 एवं पत्र सं0 98/W-I/Genl/0/30/Pt दिनांक 13.06.2008 के माध्यम से जारी किये गये निर्देश मुख्य रूप से शामिल हैं। परन्तु ज्यादातर मामलों में यह देखा जा रहा है कि S&T विभाग/उ0म0रे0 के विभिन्न यूनिटों द्वारा न तो उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है और न ही उचित estimation के सम्बन्ध में जारी रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशों का ही पालन किया जा रहा है और विभिन्न कार्यों में एक अव्यवहारिक estimate बनाते हुए निविदाएं प्रोसेस भी कर दी जा रही हैं, जो कि अवांछनीय है।

अतः भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं–

(a) निविदा अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का realistic estimation साइट की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, न कि टेण्डर के मूल्य बढ़ाये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर।

(b) कार्य अवार्ड होने के पश्चात् निविदा शेड्यूल में दिये गये सभी सामानों की सप्लाई एक साथ न लेकर साइट की आवश्यकताओं, कार्य के प्रारम्भ होने के समय एवं उस मैटेरियल के Lead Time को ध्यान में रखकर सामानों की सप्लाई ठेकेदार से लेना चाहिए, जिससे उक्त आइटमों की Codal Life ज्यादा बची रहने से उनका प्रयोग रेलवे के लिए ज्यादा दिनों तक किया जा सके एवं इससे रेलवे का पैसा भी काफी समय तक Block होने से रोका जा सके।

(c) कार्य निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले अत्यधिक कीमत के आइटमों (High Value Items) के सप्लाई पार्ट का X% (विभाग द्वारा निर्धारित सीमा) पेमेंट उसके 100% Installation के बाद किये जाने के लिए निविदा में शर्त जोड़ा जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित सुझावों को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा–निर्देश जारी करते हुए उ0म0रे0 के S&T विभाग के सभी सम्बन्धित यूनिटों/कार्यालयों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि0 उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

23.12.2022

(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता

147

गोपनीय
Confidential

उत्तर मध्य रेलवे
North Central Railway

प्रधान कार्यालय (संकेत एवं दूरसंचार शाखा)
गंगा परिसर, सूबेदारगंज,
प्रयागराज - 211015

HQ's Office (S&T Branch)
Ganga Parisar, Subedarganj
Prayagraj- 211 015

सं. एन सी आर/ एस एंड टी/ गोपनीय/सतर्कता

दिनांक : 06.09.2022

वरि.मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/समन्वय
(प्रयागराज, झांसी एवं आगरा)
उत्तर मध्य रेलवे

विषय : पुनः **Breakdown Daily Allowance के संबंध में दिशा निर्देश।**

It is hereby advised that guidelines for claiming Breakdown Allowance (IREM VOL I) and Railway Board's RBE No. 106/2017 circulated vide letter no. E(P&A)II-2017/BDA-I dtd. 30.08.2017enclosed wih this letter should be circulated amongst all SSE Depots for strict implementation in all offices under your control to stop irregularities/misuse. Breakdown allowance should not be claimed for cases other than those explicitly given in Chapter VII of IREM Vol-I.

D.A.: 07 pages
(i) Extract of Indian Railways Establishment Manual Vol I , Chapter VII - 704. Breakdown Allowance
(ii) Railway Board's RBE No.106/2017 circulated vide letter no. E(P&A) II-2017/BDA-I dtd. 30.08.2017.

6/9/22
(अजय प्रताप सिंह)
उप. मु. सिग. एवं दूर सं. इंजी. /मुख्या ./उ.म.रे.

N.O.O

प्रतिलिपि:-

1. उप.मु.सतर्कता अधिकारी/बिजली/उ.म.रे. – सूचनार्थ हेतु।